न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 758–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–3–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 96/2013–14/अपील.

रामपाल पुत्र प्यारेलाल
निवासी ग्राम नरौआ तहसील नरवर
जिला शिवपुरी म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. लायकराम राम पुत्र मायाराम
   निवासी ग्राम नरौआ तहसील नरवर
   जिला शिवपुरी म0प्र0
2. म0प्र0 शासन जिला शिवपुरी

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक आवेदक
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक कं 1
श्री डी0के0 शुक्ला, शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक कं 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/03/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक लायकराम ने तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नरौआ की भूमि कुल किता–11 रकवा 2.72 हे0 पर भूमिस्वामी पन्नालाल के फौत होने पर वसीयत के आधार पर नामांतरण की मांग की। कार्यवाही के दौरान आवेदक रामपाल के द्वारा भी वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु एक आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण

कमांक 64/12–13/अ–6 दर्ज कर दोनों आवेदनों की एक साथ सुनवाई की जाकर आदेश दिनांक 15–10–2013 के द्वारा आवेदक रामपाल के हक में नामांतरण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक लायकराम द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24–12–2013 को अपील स्वीकार की जाकर अनावेदक लायकराम के हक में नामांतरण आदेश पारित किया। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 11–3–2015 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित मानते हुये अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने का अनुरोध किया था, परन्तु 7 दिवस का समय व्यतीत होने के पश्चात भी लिखित तर्क प्राप्त न होने से उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्को को विचार क्षेत्र में लिया जा रहा है।

आवेदक अभिभाषक ने मौखिक तर्क में मुख्य रूप से कहा कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी पन्नालाल ने अपने जीवनकाल में अनावेदक के पक्ष में दिनांक 12–12–2012 को वसीयत निष्पादित की गई थी। परन्तु आवेदक की सेवा से प्रसन्न होकर एक अन्य वसीयत आवेदक के पक्ष में दिनांक 27–5–2013 को निष्पादित कराई। दिनांक 27–5–2013 को भूमिस्वामी पन्नालाल की मृत्यु होने के पश्चात आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 15–10–2013 से आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं उसका प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिये बिना तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक के पक्ष में भूमिस्वामी पन्नालाल की अंतिम वसीयत होने से वह प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण का हक

रखता है। इसी कारण तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत नामांतरण प्रकिया का पालन करते हुये आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। यह भी तर्क किया आवेदक की वसीयत साक्ष्यों से सिद्ध पाई गई थी परन्तु दोनों अपीलीय न्यायालयों ने आवेदक के पक्ष में हुये नामांतरण को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी की जाकर दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदक कं 1 के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि वसीयकर्ता स्व0 पन्नालाल की स्वयं की कोई संतान न होने के कारण अनावेदक लायकराम को बचपन से ही अपने साथ रख लिया था उसका विवाह आदि कराया था। अनावेदक स्व0 पन्नालाल का सगा भतीजा है। अनावेदक की सेवा से प्रसन्न होकर अपने जीवनकाल में दिनांक 12–12–2012 को तहसील नरवर में जाकर प्रश्नाधीन आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत कराई। स्व0 पन्नालाल की मृत्यु होने पर अनावेदक द्वारा उनका दाह संस्कार तथा समस्त कियाकर्म कराये। स्व0 पन्नालाल की मृत्यु होने के पश्चात अनावेदक ने नामांतरण हेतु आवेदन दिया। अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर आज तक निरंतर कब्जा चला आ रहा है। आवेदक द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय में आवेदन दिया। आवेदक द्वारा मूल वसीयत को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई जिसपर अनावेदक द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत के दोनों साक्षी पातीराम एवं डरूआराम ग्राम नरौआ के निवासी नहीं है। साक्षी पातीराम द्वारा अपने शपथ पत्र में यह माना है कि उसके पिता डरूआराम को पट्टा दिलाने के बहाने उन दोनों के गवाह के रूप में वसीयत पर अंगूठा लगवा लिया जबकि उस दिन स्व0 पन्नालाल वहां उपस्थित भी नहीं था। स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं थी फिर पर तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक की आपत्ति पर बिना विचार आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि विधिअनुसार यदि बाद में वसीयत निष्पादित की गई हो तो पूर्व में हुई वसीयत को निरस्त करने संबंधी लेख वसीयत में किया जाना आवश्यक है। आवेदक

द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 23–5–2013 को होना दर्शाई जबकि स्व0 पन्नालाल की मृत्यु दिनांक 27–5–2013 को हो गई थी। चूंकि वसीयतकर्ता अत्यंत वृद्ध एवं अस्वस्थ्य थे और मृत्यु से तीन दिन पूर्व वसीयत करने की स्थिति में नहीं थे। इस कारण भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत संदिग्ध प्रतीत होती है। यह भी तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध पाया है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत को संदिग्ध पाया इसी कारण अनावेदक के पक्ष नामांतरण आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों उचित हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किये गये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के में संलग्न वसीयत के दोनों साक्षी पातीराम एवं डरूआराम की ओर से पातीराम द्वारा दिनांक 24–8–2013 तैयार किया गया शपथ पत्र संलग्न है। जबकि तहसील न्यायालय में दिनांक 26–8–2013 को दोनों गवाहों द्वारा तैयार किया गया शपथ पत्र संलग्न है। दोनों गवाहों द्वारा दिये गये उक्त शपथ पत्र आपस में विरोधाभाषी है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में दो अलग–अलग वसीयत दिनांक 23–5–13 एवं 12–12–2012 पेश हैं जिन्हें अलग–अलग न्यायालय तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सिद्ध पाया है। तहसीलदार द्वारा बाद में हुई वसीयत को सिद्ध माना है जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व में संपादित वसीयत को सिद्ध माना है। ऐसी स्थिति में दोनों वसीयत के सिद्ध होने पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हो जाता है। दर्शित परिस्थितियों में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ

विचारण न्यायालय तहसीलदार नरवर को भेजा जाता है कि दोनों वसीयत के गवाहों के कथन अंकित कराने एवं उन पर प्रतिपरीक्षण कर उभय पक्षों को पक्ष समर्थन का अवसर देने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर